राधेश्याम - जगदीशप्रसाद 2011Q

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19-7-26	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट....डिसमिस.... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। R.Y भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं प... सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 20 / 2018

1 मैं राधेश्याम उम्र 80 साल पुत्र चन्द्राराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी आनन्द नगर, सीकर मृत
1/1 ईमरता देवी उम्र 52 साल पत्नी जगदीश प्रसाद
1/2 अमीता मांजू उम्र 32 साल पुत्री जगदीश प्रसाद
1/3 धर्मवीर उम्र 29 साल पुत्र जगदीश प्रसाद
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कूदन हाल निवासी आनन्द नगर सीकर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट–वादी

2 विक्रय शेखावत पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी टार्ड (गड़) मण्डावा रोड़, बिसाउ जिला झुन्झुनू हाल पता 47/48 प्रेम नगर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा जयपुर।

रेस्पोडेन्ट–प्रतिवादी संख्या 6

3 कैला देवी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद
4 विकास
5 सुधीर
6 देवकृष्ण पुत्र स्व. महावीरप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट–प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 भू–धारक तहसीलदार , सीकर

रेस्पोडेंट–प्रतिवादी संख्या 7

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध
आदेश दिनांक 11.01.2018 अन्तर्गत आदेश
07 नियम 11 जा.दी. बसिलसिले राजस्व वाद
संख्या (243 / 2013) 364 / 2014 उनवानी
जगदीश बनाम कैलादेवी द्वारा उपखण्ड
अधिकारी सीकर,

उपस्थिति :

1. श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा 364/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी जगदीशप्रसाद ने एक राजस्व बंटवारा वाद संख्या 364/2014 उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 647 रकबा 1.74 हैक्टेयर ग्राम गोकुलपुरा की तन में अवस्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सहखातेदार है परन्तु मौके पर सभी ने बंटवारा कर रखा है और अपने–अपने हक–हिस्से पर स्वतन्त्र रूप से काबिज काश्तकार है एवं तद्नुसार बंटवारा विधिवत कराया जाकर अलग–अलग खसरा नम्बर कायम कराया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में भी तरमीम करवाई जावें। उक्त वाद का निर्णय दिनांक 24.02.2014 को वादी जगदीशप्रसाद एवं प्रतिवादी संख्या 6 विक्रम सिंह की सहमति से किया जाकर जरिये तहसीलदार सीकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर मौके पर स्वतन्त्र काश्त–कब्जे अनुसार अन्तिम बंटवारा डिक्री पारित कर दी गई। तदनुसार उन्होंने अपनी इच्छानुसार एन.एच. नम्बर 11 के लगती हुई भूमि वादी जगदीशप्रसाद हिस्सा 0.56 एवं प्रतिवादी संख्या 6 विक्रमसिंह हिस्सा 0.25 हैक्टेयर और उसके पीछे की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हिस्सा 0.28, तत्पश्चात पिछवाड़े की शेष बची भूमि प्रतिवादी संख्या 6 राधेश्याम हिस्सा 0.58 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के रास्ते हेतु 0.07 हैक्टेयर कायम करा ली। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उनके नाम अधिक रकबा दर्ज होने की आड़ में अनुचित लाभ लेने की अनुचित मंशा से उन दोनों जगदीश प्रसाद व विक्रम सिंह ने दो अलग–अलग अपीलें इस आधार पर प्रस्तुत की, कि उपखण्ड अधिकारी ने सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिये बिना बंटवारा डिक्री पारित कर दी है जिसे निरस्त किया जावें। चुंकि इन दोनों की सहमति से बंटवारा डिक्री पारित की गई थी इस कारण उन्हें अपील प्रस्तुति का कोई अधिकार ना होते हुये भी अपील प्रस्तुत कर आवेदक राधेश्याम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में दिनांक 31.10.2014 को अपील मंजूर करवाकर रिमाण्ड करा ली कि दोनों पक्षों को दुबारा सुनवाई का मौका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावें, जिस निर्णय की आड में उपखण्ड अधिकारी, सीकर के यहां आवेदक राधेश्याम को जवाबदेही व सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराये बिना एवं कब्जे का अनुतोष मांग बिना ही सड़क से लगती हुई बेशकिमती भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित गलत रकबे के आधार पर अधिक भूमि हथियाने का गलत मंसूबा पुरा करने का मकसद रखा जबकि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 6 राधेश्याम, जो 80 वर्षीय अशिक्षित वृद्ध एंव बीमार व्यक्ति है, को इस भरोसे में रखा कि मौके पर काश्त–कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाई जा रही है परन्तु गलत बटवारा वाद की आड़ में सड़क से लगती हुई बेशकिमती भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 6 राधेश्याम के काश्त–कब्जे की भूमि को भी हथियाने की साजिश रची गई थी, जिसकी जानकारी दिनांक 05.10.2015 को तहसीलदार द्वारा पुनः मौका देखे जाने के समय होने पर राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के यहां प्रकरण संख्या 48/2015 उनवानी राधेश्याम बनाम जगदीश प्रसाद प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण दिनांक 21.07.2016 को इस निर्देश के साथ किया गया कि जगदीश प्रसाद व विक्रय सिंह की ओर से पूर्व में प्रस्तुत दोनों अपीलों का निर्णय इस निर्देश के साथ किया गया है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देकर पुनः विधि अनुसार निर्णय किया जावे जिसमें त्रुटि प्रतीत नहीं होती है अर्थात जगदीश प्रसाद भी अपना पक्ष जवाबदेही/साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है। तदन्तरगत प्रतिवादी संख्या 6 राधेश्याम की ओर से दिनांक 09.10.2017 को अपना जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां लम्बित मूल राजस्व वाद पत्रावली पेश किया जिसकी नकल वादी जगदीश प्रसाद की ओर से प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 31.10.2017 एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 6 राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधि वर्जित होने से नामंजूर किया जावे जिस आवेदन का जवाब दिनांक 03.11.2017 को प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि जवाब दावा के साथ काउन्टर क्लेम पेश करने में कोई विधि की वर्जना नहीं है तथा बंटवारा वाद में वादी एवं प्रतिवादी की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थिति एक समान होती है साथ ही यह भी अवगत करवाया गया कि मूल वाद की पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के यहां लम्बित प्रकरण टी. ए/निगरानी/2016/7630/सीकर 16.12.2016 बउनवानी राधेश्याम बनाम जगदीश में तलबशुदा है परन्तु वादी जगदीशप्रसाद की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर आदेश पारित करने का जोर दिये जाने पर दिनांक 11.01.2018 को आदेश पारित कर वादी का आवेदन आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 राधेश्याम का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित किया है कि प्रतिवादी को प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रतिवादी ने अपने काउन्टर दावे में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है जिससे कि काउन्टर वाद की आवश्यकता प्रतीत होती हो। परन्तु उक्त उल्लेख सर्वथा अनुचित व अनाधिकृत है क्योंकि जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 विक्रय सिंह से दूरभी संधि कर एवं अन्य प्रतिवादियों को मुगालते में रखकर एवं भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा कर नेशनल हाईव से लगती हुई बेशकिमती भूमि हथियाना चाहते है और राजस्व रिकार्ड में उनके नाम अधिक रकबा दर्ज होने की आड़ में प्रतिवादी संख्या 5 के स्वतन्त्र काश्त-कब्जे की भूमि जो उसे पूर्व में हुये मौखिक बंटवारे के अन्तर्गत प्राप्त हुई हे में हस्तक्षेप करने-कराने को अमादा है इस कारण काउन्टर निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी है तथा पक्षकारान के मध्य पूर्व में हो चुके मौखिक बटवारे एंव तदनुसार ही मौके पर काश्त-कब्जा कायम है एवं वादी जगदीश प्रसाद व प्रतिवादी विक्रय सिंह ने अपने हक-हिस्से में आई हुई भूमि के बाउण्ड्री वाल बना रखी है तदनुसार बंटवारा मान्य किया जावे। उक्त काउन्टर क्लेम किसी भी प्रकार से नामंजूर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लगती हुई भूमि वादी

किया जाने योग्य नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने निरस्त कर रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुचाने का परिचय दिया है। मूल वाद की पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब की हुई होने के बावजूद भी वादी–रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत गलत आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पर निर्णय करने में जल्दबाजी कर वादी के पक्ष में निर्णय पारित करने का कृत्य स्पष्टतः क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग करने व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देश की अवहेलना करने का परिचायक है। जब प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में से जवाब दावे को तो रिकार्ड कर रखा है परन्त काउंटर क्लेम को नामंजूर किया है तो भी वाद की कार्यवाही तनकी कायम कर साक्ष्य में लगाई जानी चाहिए थी परन्तु अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी ने ऐसी विधि सम्मत कृत्य, प्रकिया का निर्वहन नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 6 राधेश्याम, जो 80 वर्षीय अशिक्षित वृद्ध एंव बीमार व्यक्ति है, को इस भरोसे में रखा कि मौके पर काश्त–कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाई जा रही है परन्तु गलत बंटवारा वाद की आड़ में सड़क से लगती हुई बेशकिमती भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 6 राधेश्याम के काश्त–कब्जे की भूमि को भी हथियाने की साजिश रची गई थी। उक्त सही तथ्य व वस्तुस्थिति पत्रावली का अवलोकन करने से स्वमेव उजागर है फिर भी अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी ने अनदेखा करने में गहरी त्रुटि कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 जिसके द्वारा प्रतिवादी राधेश्याम की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा व काउन्टर क्लेम में से काउन्टर क्लेम को नामंजूर/खारिज किया गया है, को निरस्त किया जाकर काउन्टर क्लेम को भी जवाब दावा के साथ रिकार्ड पर रखाया जाना एवं विधिक प्रकिया अनुसार तनकी कायम करवाकर साक्ष्य आदि लेकर विधि अनुसार निर्णय कराये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी सीकर को आदेशित किया जाना प्रार्थनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का आवेदन आरएए ने 20.07.2016 को खारिज कर दिया। मूल वाद में उपस्थिति देकर कार्यवाही में भाग ले सकते है। अंतिम डिक्री से पहले आपत्ति कर सकते है परन्तु जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश कर दिया जो कि चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी को प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी ने अपने काउण्टर दावा में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है जिससे की काउण्टर वाद की आवश्कता प्रतीत होती हो। विचारण न्यायालय ने विभाजन की बाई मिटस एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसमें किसी खातेदार विशेष के पक्ष में निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री निरस्त कर पुनः सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन आदेश 07 नियम 11 में खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी जगदीश प्रसाद द्वारा ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 647 के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.02.2014 को जारी की गई। इस डिक्री के विरूद्ध वादी जगदीश एवं प्रतिवादी संख्या 6 विक्रम की ओर से इस न्यायालय में अपील संख्या 34/2014 एवं 50/2014 प्रस्तुत की गई। यह अपील निर्णय दिनांक 31.10.2014 से इन निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित की गई कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय गुणावगुण पर पारित करें। विचारण न्यायालय में इस निर्णय की पालना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

में पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज कर आगामी तारीख पेशी 28.11.2014 नियत की गई। इसके उपरांत पत्रावली शहादत में चलती रही। दिनांक 08.04.2015 को विचारण न्यायालय ने वादी व प्रतिवादी संख्या 6 की अंतिम बहस सुनकर वास्ते आदेश प्राथमिक डिक्री पत्रावली नियत कर दी गई। इस तिथि की आदेशिका में विचारण न्यायालय ने अंकित किया कि अन्य प्रतिवादीगण की एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली अपील न्यायालय से प्राप्त होने के उपरांत शेष प्रतिवादीगण की पुनः न तो तामील जारी की गई, न ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वर्तमान अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2014 को प्रतिवादी संख्या 5/अपीलांट के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने के लिए विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसकी अपील अपीलांट ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें इस न्यायालय ने अपीलांट की अपील इस विवेचन के साथ खारिज कर दी कि आवेदक अपीलांट भी अपनी साक्ष्य अदालत मातहत में पेश करें। इस न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की। माननीय मण्डल द्वारा अपीलांट की निगरानी प्रभावहीन होने के कारण खारिज की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि अपील न्यायालय द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण की विधिक प्रक्रिया अनुसार तामील करवाये बिना, सुनवाई किये बिना केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 6 को सुनकर प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण अपील न्यायालय से प्रति प्रेषित होकर प्राप्त होने से पूर्व शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में की गई तामीली कार्यवाही एवं एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को ही अंतिम मान लिया है। इसी कारण विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा यह काउंटर प्रस्तुत किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि अनुसार अपीलांट का आवेदन विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने योग्य है। अपीलांट का आवेदन विधि द्वारा वर्जित मानकर आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को अपीलांट का काउंटर क्लेम गुणावगुण पर निस्तारण के निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर